

**कार्यालय अधिकारी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, बागेश्वर**

पत्रांक १६९२/२ ई०व०भ०  
सेवा में,

दिनांक २५/०६/२०२३

**प्रभागीय वनाधिकारी  
बागेश्वर वन प्रभाग,  
बागेश्वर।**

विषय:-

जनन्पद बागेश्वर के अन्तर्गत जल्थाकोट-चमड़थल-किमोली मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली ३.१५हेक्टेएर का गेर वानिकी कार्य हेतु उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:-

भारत सरकार के पत्रांक ४८०/यूसीपी०/०६/८९/२०१६/एफ०सी०/१६११ दिनांक ०२.११.२०१८.  
२०१९

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का काब्द करें। जिसमें भारत सरकार द्वारा जारी सेहानिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की पूर्ण अनुपालन आख्या आपके माध्यम से तीन प्रति में भेजने के निर्देश दिये गये हैं। पूर्ण अनुपालन आख्या बिन्दुवार ४ प्रतियों में संलग्न कर निम्नवत प्रेषित की जा रही है।

### **सेहानिक स्वीकृति प्राप्त उल्लेखित शर्तों के अनुपालन आख्या**

क्र०स०	शर्त	अनुपालन का विवरण
1	<p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित ६.२३ हेक्टर मान नौकुटी भूमि पर अतिपूरक वृक्षारोपण एवं १० वर्षों तक रख-रखाव हेतु अवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्त्रण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही विवित स्वीकृति प्रदान की जायेगी।</p>	<p>प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित ६.२३ हेक्टर मान नौकुटी भूमि पर अतिपूरक वृक्षारोपण एवं १० वर्षों तक रख-रखाव हेतु रु २१.००.६६६.०० मात्र (रु० इक्कीस लाख रुपयोक्ता की धनराशि भुगान एवं इक्कीस लाख माध्यम से UTR No. SBINR52021062129409140 Dtd २१.०६.२०२१ द्वारा किया जा चुका है। साथ ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु व्यनित भूमि ६.२३ हेक्टर मान नौकुटी का जिलाधिकारी बागेश्वर के आदेश सं० ४३८ / छब्बीस-१८ वन/२०१९-२० दिनांक ०६.०१.२०२० द्वारा तहसीलदार कंपकोट के पत्रक-४३० / २०का० / २०१६ दिनांक ३१.०८.२०१६ द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण / नामान्तरण कर दिया गया है। (सन्दर्भित पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न है।)</p>
2	<p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं० ५-३ / २००७-एफ०सी० दिनांक ०५.०२.२००९ के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य(एन०पी०वी०) की निधारित राशि (जमा की जायेगी।</p>	<p>एन०पी०वी० की धनराशि UTR No. SBINR52021062129409140 Dtd २१.०६.२०२१ द्वारा रु० २०.४६५५.०० मात्र (रु० बीस लाख छियालीस हजार पौच सौ पौच मात्र) जमा की जा चुकी है (यालान की प्रति संलग्न।।</p>
3	<p>शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में आर बॉलरी हाती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बदला प्रस्तुत की जाए।</p>	<p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में आर बॉलरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने हेतु वचन बदला प्रमाण पत्र संलग्न है।</p>

4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियाँ (CA cost, NPV etc.) को दैब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाएं। अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्वालिक स्थिकृति कक्षे के रूप में मात्र नहीं होगी।	एनपीबी० तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति दृश्यरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMP) के तदर्थ निकाय खाते में online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से धनराशि UTR No. SBINR52021062129409140 Dtd 21.06.2021 द्वारा को 41,47,211.00 मात्र (रु० इकायलीस लाख सेठलीस हजार दो सौ मत्र) जमा की जा चुकी है (चालान की प्रति सलाना)।
5	सड़क निर्माण के पश्चात जहाँ-जहाँ संभव हो सड़क के दोनों किनारे तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर कन विभाग की देख रेख में strip plantation की जायगी। इस आशय की वर्चन बढ़ता प्रेशित करनी होगी।	शर्त सं० ५ के अनुपालन में प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित दृश्यरोपण प्रमाण पत्र संलग्न है।
6	State Govt may submit the correct original hard copy of alternatives examined and also upload the same at designation place.	Correct original hard copy of alternatives examined are submitted in hard copy (Prapatra-8) and the same is uploaded in additional information at Part-I.
7	State Govt will upload correct data about employment generation at para E(ii) online part-I.	Correct Employment generation is uploaded at para E(ii) online part-I.

आतः उक्त कार्यवाही उपरान्त संलग्नकों सहित सूचना तीन प्रति में अपने स्तर से नोडल अधिकारी देहरादून को विधित स्थिकृति जारी करने की संस्कृति सहित अग्रसारित करते हुए उसकी सूचना इस कार्यालय को भी देने की कृपा करें।

संलग्न— सूचना 4 प्रतियों में संलग्नकों सहित

मवदीय,  
अधिकारी सचिव  
प्रान्तीय खण्ड लोनियो  
बाग श्वर  
दिसंपूर  
१४/६/२०२३ बन प्रपत्र

पारंकार

मा.पि. जि. नम् एवं जालिकापृष्ठ परिवर्तन  
प्रशासन

दोस्रीय कार्यालय (बाहरी के दिया केंद्र)

25 सुभाष रोड, देहरादून-248001।

टूरणाम् 0135-2660800।

फैक्स-0135-2653010  
ई-मेल - moef.ddu@gov.in

पा.उ. नम् 08वी / मुख्यमिती / 06/09/2016 / एफ०सी / 16।

रोधा मे।

अपर सुझा सचिव (द्वारा),  
उत्तराखण्ड शासन।

सुधारण रोड, देहरादून।

निधि : परिषद् - बागेश्वर के अन्तर्गत जलधारोटे-चमड़ाहल-किमोही गोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.115 हेतु वा।

भूमि का लोक नियमन विभाग को प्रत्यापत्ति।

संदर्भ: अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या- 688X-4-15/1(393)2015 दिनांक 06.08.2016।

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No. EPUIKROAD/9686/2015, एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अयोहकन करने का फैट करे जिसके द्वारा विषयालिखि प्रसारण पर केन्द्र सरकार दो वर्ष (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत रखीकृति मार्गी थी।

इस विषय में युक्त यह खुलियत करने का किये द्वारा हुआ है कि प्रहवान प्रयोगण पर ध्यानपूर्क विचार करने के अपरात्मक विवरण एवं नामांकन के लिये जलधारोटे-चमड़ाहल-किमोही गोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.115 हेतु वा। उत्तराखण्ड जनपद- बागेश्वर के अन्तर्गत जलधारोटे-चमड़ाहल-किमोही गोटर मार्ग के निर्माण के लिये जलधारण की विधिवत व्यक्ति प्रदान की जायेगी। रोधा के समय कम से कम 50 ग्रामियां ओक प्रजाति के गोदे का रोधा

प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रत्यावहित भूमि के बारते 6.23 हेतु गम-नोकोड़ी विवेल-सायम भूमि पर प्रतिपूर्य द्वारा इनपुण एवं उत्तरके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (एतमान दरों को राष्ट्रहित करते हुए) हस्तान्तरण एवं नामांकन के सामिलत्वे के बहुरूप अतः उत्तराखण के पक्षे एवं द्वारा विधिवत व्यक्ति प्रदान करती है।

1. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रत्यावहित भूमि के बारते 6.23 हेतु गम-नोकोड़ी विवेल-सायम भूमि पर प्रतिपूर्य द्वारा इनपुण एवं उत्तरके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (एतमान दरों को राष्ट्रहित करते हुए) हस्तान्तरण एवं नामांकन के सामिलत्वे के बहुरूप अतः उत्तराखण के पक्षे एवं द्वारा विधिवत व्यक्ति प्रदान करती है।

2. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3 /2007-एफ०सी दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशप्राप्त शुद्ध उत्तमान मूल्य (एन.पी.ओ.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।

3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में आए बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई कर के अनुसार अधिकारण धारा विधिवत प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय को प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा विधिवत प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा विधिवत व्यक्ति को जमा की जायेगी।

4. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा यह खुलियत करे कि जमा की नयी रसी निविया (CA 09/01 NPY(cic)) को ऐसे एंटल गायत्रमा से जमा की जायेगी। धनराशि के मायथम हाजा विनियोगालय हेतु जमा किए जाएं अन्य विधिवत व्यक्ति को जमा की जायेगी।

5. अड्डा नियम के प्रत्यावहित वाहा-जामां राशि हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा अपने द्वारा विभाग की देख-रेख, ऐप्प्लिकेशन की जायगी। इस आशय की विवरण विवरण करनी होगी।

6. State Government may submit the correct original hand copy of alternatives examined and also up-to-date the same as requested in place.

### आदेश

उपजिलाधिकारी कपकोट की आख्या/रिपोर्ट के आधार पर जनपद बागेश्वर में राज्य योजना के अन्तर्गत जलथाकोट-चमड़ल-किमोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रयुक्त वन भूमि 3.115 हेतु वन भूमि की दुपुनी अवनत भूमि 6.230 हेतु जो ग्राम तेकोड़ी राजस्व उपाधिकारी क्षेत्र शामा तहसील कपकोट जिला बागेश्वर के गैर जमीदारी विनाश खतोनी के खाता संख्या-189 के श्रेणी 9(3) ख इमारती लकड़ी के जंगल के पैमाईसी खेत नम्बर 01 रक्फवा 14, 960 हेतु मध्ये 6.230 हेतु भूमि प्रस्तावित है, को शासनादेश संख्या-2173/ xviii/(I) 2012-18 (120)/ 2010 दिनांक 17 दिसंबर, 2012 तथा उत्तराखण्ड शासन देवशहून के पत्र संख्या- 08वी०/य०सी०पी०/06/ 97/ 2017/एफ०सी०/267/ दिनांक 11.05.2018 में दी गयी व्यवस्था /शर्तों के अधीन क्षतिपूरक व्याप्रोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित/हस्तान्तरित किये जाने की रखीकृते प्रदान की जाती है।

जिलाधिकारी,  
बागेश्वर।

### कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर।

संख्या- ५३४ /छञ्चीस-१४ वन / 2019-20 दिनांक ०६जनवरी २०२०,  
प्रतिलिपि:- निम्नाकित को सूचनार्थ ऐ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 01- प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर, वन प्रभाग, बागेश्वर।  
उपजिलाधिकारी, कपकोट।
- 02- अधिकारी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर।
- 03- तहसीलदार, कपकोट को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त वर्गित/प्रस्तावित भूमि का हस्तान्तरण/नामान्तरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए सम्बन्धित भूमि की खतोनी की एक-एक प्रति मय प्रमाण पत्र सहित वन विभाग तथा याचक विभाग को उपलब्ध कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,  
बागेश्वर।



अधिकारी  
वन विभाग  
बागेश्वर।

अधिकारी  
वन विभाग  
बागेश्वर।

कार्यालय तहसीलदार कपकोट  
संख्या-430/२०का०/२०१६, दिनांक 31 अगस्त, 2016.

सेवा में

अधिकारी अभियन्ता,  
प्रान्तीय खण्डलोक निर्माण विभाग,  
बागेश्वर।

विषय— आँन लाइन प्रस्तावों के बन भूमि की पूर्ति हेतु क्षात्रिपुरक बनीकरण लैण्ड बैंक के अन्तर्गत सिविल सोयम भूमि की खतोनी के सचंद में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पावाक 1888/2५०व०५० दिनांक 20/08/2016 का सन्दर्भ गृहण करने का कष्ट करें। पत्र में उल्लिखित मार्गों के सम्मुख प्रस्तावित स्थलों के ग्रामों की खतोनिया क्षेत्रीय राजस्व उप निरीक्षकों से प्राप्त कर संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतः उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न— उक्तानुसार 04 खतोनी उच्चरण।

कार्यालय  
तहसीलदार,  
फैसलाबाद,

~~April 26~~ May 2

1. प्राचीन विद्या - एक विद्या है। जो प्राचीन भारतीय संस्कृत में लिखी गई है। इसमें विद्या के अलावा अन्य विषयों की विद्या भी शामिल है।

2. विद्या - एक विद्या है। जो विद्या के अलावा अन्य विषयों की विद्या भी शामिल है।

3. विद्या - एक विद्या है। जो विद्या के अलावा अन्य विषयों की विद्या भी शामिल है।

4. विद्या - एक विद्या है। जो विद्या के अलावा अन्य विषयों की विद्या भी शामिल है।

1. ১৮৩৫

146

1401-2

**कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर**

Email- dfo\_bageshwar@rediffmail.com dfo\_bageshwar03@gmail.com  
दूसरा / केवस नं 05963-220249 फैक्स नं 05963-220209



पत्रांक २५८७९ / १२-१-२ सेवा मं.

अधिकारी अभियन्ता,  
प्रान्तीय खण्ड,लोहानियाविभाग,  
बागेश्वर।

विषय - जनपद बागेश्वर में राज्य योजना के अन्तर्गत जल्थाकोट चमड़थल-किमोली भोटर पारा को नियमित हेतु 3.115 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक नियम विभाग का प्रत्यावर्तन। ( ९६४६/२०/५) आपका पत्रांक ५६३ / २५०५०७०३ दिनांक 15.03.2021।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में याही गई सूचना निम्न प्रकार है।  
०८ली / यू०सी०गी०/०६ /८९ /२०१५ /१६११ दिनांक ०२.११.२०१८।  
२. उक्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण व सड़क के दोनों ओर पथ वृक्षारोपण धनराशि का ऑक्टेलन प्रयुक्त वन संक्षक उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक -९७२ / ३-५-२ दिनांक 21.11.2017 के द्वारा निर्धारित दरों के कम में वर्ष 2020-21 के वस्तुली वर्ष हेतु किया गया है। अतः उक्त डिमाण्ड नोट औन लाईन के नोडल कार्यालय द्वारा डिमाण्ड नोट सत्यापन के उपरान्त धनराशि नियमनुसार जमा कर इस कार्यालय को अद्यगत कराने का कर्तृ करें।

कठोसं०	मद	क्षेत्रफल	इ०को० वलास	धनराशि	दर प्रति	जमा की जाने वाली धनराशि
1	एन०पी०वी०	३.११५ है०	५	०.२	६,५७,०००.००	२०.४६.५५५.००
2	क्षतिपूरक वृक्षारोपण	०६.२३ है०	“ “ “ “ ”	३,३७,१८४.००	२१.००.६५६.००	

भवदीय,

*Mukesh*  
प्रभागीय वनाधिकारी  
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर



परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में जल्हाकोट-चमड़ीखल-किमोली मोटर मार्ग का निर्माण।

(५०)

### एन०पी०वी० जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के एवज में साठ उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.08 एवं आदेश दिनांक 09.05.08 में निर्धारित प्रक्रिया तथा नोडल अधिकारी, देहरादून के पत्राक 1456 / 1-42 दिनांक 15.12.2008 में दिये गये निर्देशानुसार देय एन.पी.वी. की धनराशि उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग हारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी।

सहायक अधिकारी  
प्रान्तीय छाड, लो०निर्माण०  
बागेश्वर

अधिकारी अधिकारी  
प्रान्तीय छाड, लो०निर्माण०  
बागेश्वर

(२६)

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में  
जल्थाकोट-चमड़ीकोट किमोली मोटर मार्ग का  
निर्माण।

### रिक्त पड़े स्थान पर उचित दुक्षारोपण योजना का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के आस-पास  
रिक्त पड़े स्थानों पर उचित दुक्षारोपण हेतु वौछित धनराशि वन विभाग को उपलब्ध कराएगी।

सहायक अधिकारी  
प्रान्तीय खड़, लोकनिवादी  
बागेश्वर

अधिकारी अधिकारी  
प्रान्तीय खड़, लोकनिवादी  
बागेश्वर